



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092025-266217
CG-DL-E-17092025-266217

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4103]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 2025/भाद्र 26, 1947

No. 4103]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2025/BHADRA 26, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

का.आ. 4220(अ).—सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 112 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 30 जून, 2026 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित करती है जिस तक, इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष, उन मामलों के संबंध में जहां वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जाने की वांछा की गई है, 1 अप्रैल, 2026 से पहले अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचित कर दिया गया है, अपील फाइल की जा सकेगी, और 1 अप्रैल, 2026 को या उसके पश्चात् संसूचित आदेश के संबंध में सभी अपीलों उस तारीख से, जिसको ऐसा आदेश अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचित किया जाता है, तीन मास के भीतर अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की जा सकेंगी।

[फा. सं. ए-50/7/2025-जीएसटीएटी-डीओआर]

बालसुब्रमणियन कृष्णमूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th September, 2025

S.O. 4220(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 112 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the 30th day of June, 2026, as the date upto which appeal may be filed before the Appellate Tribunal under this Act in respect of all cases where the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal before the 1st day of April, 2026 and all appeals in respect of order communicated on or after 1st April, 2026 may be filed before the Appellate Tribunal within three months from the date on which such order is communicated to the person preferring the appeal.

[F. No. A-50/7/2025-GSTAT-DoR]

BALASUBRAMANIAN KRISHNAMURTHY, Jt. Secy.